



Chicago Commission  
on Human Relations

## विकलांगता में भेदभाव इसे अनदेखा न करें- इसकी रिपोर्ट करें!

विकलांग लोगों के साथ भेदभाव निषिद्ध है। उदाहरण के लिए:

- किसी नौकरी के आवेदक को उनकी विकलांगता के आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकता।
- कर्मचारियों को अपने पद का फ़र्ज़ निभाने के लिए यथासंभव उचित आवास प्रदान करना नियोक्ता का कर्तव्य है।
- सार्वजनिक रूप से खुले कारोबारों के लिए अपनी सेवाओं का पूर्ण और समरूप उपभोग उपलब्ध कराना अनिवार्य है, और जहां मौजूदा सुविधाओं की बाधाएं दूर करना संभव है, वहां से बाधाएं हटानी होंगी। जब ऐसा करना संभव नहीं हो, तो विकलांग लोगों को समायोजित करने के लिए उस कारोबार को बाधाएं दूर करने के कदम उठाना जारी रखना चाहिए या नीतियों, व्यवहारों अथवा प्रक्रियाओं में तर्कसंगत सुधार करने चाहिए।
- मकान मालिक विकलांग लोगों को मकान किराए पर देने से इनकार नहीं कर सकते हैं और उन्हें विकलांगता को समायोजित करने हेतु विकलांग किराएदारों को अपनी आवासीय इकाइयों में बदलाव करने की अनुमति देनी होगी, जैसे कि गैब बार लगाना, शौचालय की सुलभता और बिजली की बटनों की उंचाई कम करना।

अगर आपको लगता है कि आप विकलांगता में भेदभाव का शिकार रहे हैं, तो इसे अनदेखा न करें, इसकी रिपोर्ट CCHR को करें।



हमसे (312) 744-5879 पर संपर्क करें  
ईमेल: [cchr@cityofchicago.org](mailto:cchr@cityofchicago.org)

वेबसाइट: [Chicago.gov/cchr](http://Chicago.gov/cchr)  
Facebook: [@ChicagoCHR](https://www.facebook.com/ChicagoCHR)  
Twitter: [@ChiCCHR](https://twitter.com/ChiCCHR)



Lori E. Lightfoot  
शिकागो के मेयर